

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1604]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 2014/श्रावण 21, 1936

No. 1604]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 2014/SHRAVNA 21, 1936

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
(आयकर)

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2014

का.आ. 2049(अ).- जबकि, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और फिजी गणराज्य की सरकार के बीच एक करार (जिसे इसके पश्चात् करार कहा जाएगा) पर 30 जनवरी, 2014 को भारत में हस्ताक्षर किए गए थे;

2. और जबकि, उक्त करार को लागू करने की तारीख 15 मई, 2014 है, जो उक्त करार के अनुच्छेद 30 के पैरा 2 के अनुसार उक्त करार को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों के तहत यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने संबंधी अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;

3. और जबकि, उक्त करार के अनुच्छेद 30 के पैराग्राफ 3 के उप पैरा (क) में प्रावधान है कि भारत में उक्त करार के उपबंध करार लागू होने वाले कलेंडर वर्ष के तुरन्त बाद आने वाले वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन या इसके बाद व्युत्पन्न आय की राशि पर लागू होंगे;

4. इसलिए अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंध, जो इसके साथ संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं, भारत संघ में लागू होंगे।

[अधिसूचना सं. 35/2014/फा .सं.503/11/2005-एफटीडी-II]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव

**आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और
राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए
भारत गणराज्य की सरकार
और
फिजी गणराज्य की सरकार
के बीच करार**

भारत गणराज्य की सरकार और फिजी गणराज्य की सरकार आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक करार निष्पन्न करने की इच्छा से, निम्नानुसार सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद - 1

शामिल व्यक्ति

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।

अनुच्छेद - 2

करार के अंतर्गत आने वाले कर

1. यह करार उन करों पर लागू होगा जो एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आय पर लगाए जाते हैं, चाहे ये कर किसी भी प्रकार से लगाए जाएं।
2. सकल आय अथवा आय के तत्वों पर लगने वाले सभी कर आय पर लगने वाले करों के रूप में माने जाएंगे, जिनमें चल अथवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगाने वाले करों के साथ-साथ उद्यमों द्वारा अदा किए गए वेतनों अथवा मजदूरियों की सकल रकम पर लगने वाले करों की राशि शामिल है।
3. जिन वर्तमान करों पर यह करार लागू होगा वे विशेषकर इस प्रकार हैं:
 - (क) भारत में, आयकर और उस पर लगने वाला कोई अधिभार;
(जिसे इसके बाद "भारतीय कर" कहा जाएगा);
 - (ख) फिजी में : आयकर (सामान्य आयकर, गैर-प्रवासी लाभांश विधारित (विदहोल्डिंग) कर, रायल्टी विधारित कर, व्याज विधारित कर तथा लाभांश कर सहित) तथा भूमि बिक्री कर;
(जिसे इसके बाद "फिजी कर" कहा जाएगा)।
4. यह करार किसी भी समरूप अथवा पर्याप्त रूप से समरूप करों पर भी लागू होगा जो इस करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के बाद विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

अनुच्छेद - 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनों के लिए जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :
 - (क) "भारत" पद से अभिप्रेत है - भारत का राज्यक्षेत्र तथा उसमें इसके राज्य क्षेत्रीय समुद्र तथा उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल हैं जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधीय अभिसमय सहित भारतीय कानून के अनुसार और तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं;
 - (ख) "फिजी" पद से अभिप्रेत फिजी गणराज्य की सरकार का राज्यक्षेत्र तथा आश्रित राज्य है जिसमें उनके ऊपर का वायुमंडलीय क्षेत्र तथा सभी निकटवर्ती क्षेत्र शामिल हैं सुसंगत रूप फिजी के कानूनों के अंतर्गजिन्हें,

य कानून के साथ ऐसे क्षेत्र के रूप में नामोदिप्से अंतरराष्ट्रीट किया गया है अथवा इसके बाद किया जा सकता है जिस पर फिजी सार्वभौमिक अधिकारों अथवा क्षेत्राधिकार को प्रयोग में ला सकता है;

(ग) " एक संविदाकारी राज्य" तथा "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदों का अर्थ संदर्भ की अपेक्षानुसार फिजी गणराज्य की सरकार अथवा भारत गणराज्य की सरकार से है;

(घ) "व्यक्ति" पद में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई निकाय और कोई ऐसी अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय इकाई माना जाता है;

(ङ.) "कम्पनी" पद से कोई ऐसा निगमित निकाय अथवा ऐसी सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;

(च) "उद्यम" पद कारोबार चलाने के लिए लागू होता है;

(छ) " एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पदों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(ज) "अन्तरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है - किसी एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा परिचालित कोई जलयान अथवा वायुयान, सिवाय उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो;

(झ) "सक्षम प्राधिकारी" पद का अभिप्राय है :-

(i) भारत में : वित्त मंत्रालय/भारत सरकार, अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ii) फिजी में : इनलैंड रेवेन्यू के आयुक्त अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ञ) "राष्ट्रिक" पद का अर्थ है :

(i) किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई व्यक्ति;

(ii) कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारिता अथवा संस्था, जिसे अपनी हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो;

(ट) "कर" पद से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारतीय अथवा फिजी कर अभिप्रेत है परन्तु इसमें कोई ऐसी रकम शामिल नहीं होगी जो उन करों के संबंध में किसी भूल या चूक के संबंध में देय है जिनके लिए यह करार लागू होता है अथवा जो उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदंड या जुर्माने को निरूपित करती है;

(ठ) "वित्तीय वर्ष" पद का अर्थ है :

(i) भारत के मामले में : अप्रैल के प्रथम दिन को शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष;

(ii) फिजी के मामले में : जनवरी के प्रथम दिन को शुरू होने वाला कैलेण्डर वर्ष ।

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी समय इस करार के प्रवर्तन का संबंध है किसी पद का जो , जो उस तब तक वही अर्थ होगा , या अपेक्षित न होउनसे परिभाषित नहीं हुआ हो और जब तक संदर्भ में अन्य के कानूनों के समय करों के प्रयोजनार्थ उस राज्य अंतर्गत होता है जिन पर यह करार लागू होता है और उस राज्य के प्रयोज्य कर कानूनों के अंतर्गत इस पद को दिया गया अर्थ दूसरे राज्य के अन्य कानूनों के अंतर्गत इस पद को दिए गए अर्थ पर अभिभावी रहेगा ।

अनुच्छेद - 4**निवासी**

1. इस करार के प्रयोजनार्थ "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद से अभिप्रेत है - कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, प्रबन्ध स्थान अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य मानदंड से वहां पर कर लगाया जा सकता है तथा इसमें वह राज्य कोई राजनैतिक उपप्रभाग अथवा - नीय प्राधिकरण भी शामिल होता है उसका स्था। तथापि, इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जिस पर उस राज्य में स्थित स्रोतों से आय के संदर्भ में ही कर लगाया जा सकता है।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

(क) उसे केवल उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, यदि उसे दोनों ही संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह केवल उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

(ख) यदि उस राज्य जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निर्धारित नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसका दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो;

(ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह केवल उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है;

(घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करेंगे।

3. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां वह केवल उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है। यदि उस राज्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता हो जिसमें उसका प्रभावी प्रबंध स्थान स्थित है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करेंगे।

अनुच्छेद - 5**स्थायी संस्थापन**

1. इस करार के प्रयोजनार्थ "स्थायी संस्थापन" पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता है।

2. "स्थायी संस्थापन" पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्रबंध का कोई स्थान;

(ख) कोई शाखा;

(ग) कोई कार्यालय;

(घ) कोई कारखाना;

(ङ) कोई कार्यशाला;

(च) कोई बिक्री बाजार;

(छ) किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भाण्डागार जो दूसरों के लिए भण्डारण सुविधाएं मुहैया करता हो;

(ज) कोई फार्म, बागवानी अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों;

(झ) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान

3. (क) कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण कार्य, अधिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलापों को तभी एक स्थायी संस्थापन माना जाएगा यदि ऐसा स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप किसी 12 महीने की अवधि के अन्दर 6 महीने से अधिक की अवधि तक चलते रहते हों।

(ख) ऐसे प्रयोजन के लिए किसी उद्यम द्वारा लगाए गए कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के माध्यम से उद्यम द्वारा परामर्शदायी सेवाओं सहित सेवाएं प्रदान करना एक स्थायी संस्थापन होता है, परन्तु जहां देश के अंदर केवल उस प्रकृति के कार्यकलाप (ऐसी अथवा संबद्ध परियोजना हेतु) किसी 12 महीने की अवधि के अन्दर कुल 182 दिन की अवधि अथवा अवधियों के लिए जारी रहते हैं।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी "स्थायी संस्थापन" पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :-

(क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण, प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना;

(ख) मात्र भण्डारण, प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना;

(घ) उक्त उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;

(ङ.) उद्यम के लिए प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के लिए कारोबार के निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;

(च) उप-पैराग्राफ (क) से (ङ.) तक में उल्लिखित केवल किन्हीं कार्य-कलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान के समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप के हों।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के किसी एजेंट के अलावा कोई व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो, तो उस उद्यम का ऐसे कार्यकलापों के संबंध में, जो वह व्यक्ति उक्त उद्यम के लिए करता है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना तभी समझा जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति को:-

(क) उस उद्यम के नाम से उस राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन उस प्राधिकार का प्रयोग भी करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 4 में उल्लिखित कार्यकलापों तक सीमित न हों, जिनका यदि किसी निश्चित

कारोबारी स्थान से प्रयोग किया जाए तो उस बात से ही उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा; अथवा

- (ख) उसे ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, किन्तु वह आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य में माल अथवा पण्य-वस्तुओं का कोई स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल और पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो;
- (ग) वह प्रथम उल्लिखित राज्य में पूर्ण रूप से अथवा लगभग पूर्ण रूप से स्वयं उस उद्यम के लिए ही आम तौर से आर्डर प्राप्त करता रहता हो।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी किसी संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम का पुनर्बीमा के मामले को छोड़कर, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन होने तभी माना जाएगा, यदि वह दूसरे राज्य के राज्य-क्षेत्र में प्रीमियम एकत्र करता है अथवा किसी ऐसे स्वतंत्र हैसियत वाले किसी एजेंट, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से वहां स्थित जोखिमों का बीमा करता हो।

7. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। तथापि, जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों, तो उसे उस स्थिति में इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा।

8. यदि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है तो मात्र इस वजह से ही उन दोनों कम्पनियों में से किसी कम्पनी का स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा।

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. "अचल सम्पत्ति" पद का अर्थ वही होगा जो अर्थ उस संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है, जिसमें विचाराधीन सम्पत्ति स्थित है। इस पद में, किसी भी हालत में, ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार, जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोतों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए अथवा दोहन के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार, जलयान, नाव और वायुयान अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उद्भूत होने वाली आय पर लागू होंगे।

4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद - 7**कारोबार से लाभ**

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए माने जाएंगे।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अध्यधीन, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण वे लाभ उद्भूत हुए माने जाएंगे जिनके होने की तब अपेक्षा रहती है जब वह एक-समान या मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक-समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुआ कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और जो उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता हो जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण करने में उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार खर्च किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल होंगे, भले ही वे उस राज्य के कर कानूनों के प्रावधानों के अनुसार और सीमाओं के अध्यधीन उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित हो अथवा अन्यत्र किए गए हों।

4. जहां एक संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में प्रभाजन के आधार पर एक स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभ का निर्धारण करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य में प्रचलित प्रभाजन पद्धति से कर योग्य लाभ का निर्धारण करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी, तथापि, प्रभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुकूल होगा।

5. कोई लाभ, केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ, स्थायी संस्थापन के कारण हुए समझे जाने वाले लाभों का तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारण किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हों।

7. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां, उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद - 8**जहाजरानी तथा वायुपरिवहन**

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त होने वाले लाभ केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे जिसमें उद्यम के प्रभावी प्रबंधन का स्थान स्थित है।

2. न किसी जलयाधन का स्थायिक जहाजरानी उद्यम के प्रभावी प्रबंधन पर है तब इसे उस संविदाकारी राज्य, रगाह नहीं है तो त है अथवा ऐसा कोई घरेलू बन्दरगाह स्थित होना माना जाएगा जिसमें जलयान का घरेलू बन्दरगाह स्थित माना जाएगा जिसका जलयान का संचालक निवासी है। में स्थित वह ऐसे संविदाकारी राज्य

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य-वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयोग किए जा रहे कंटेनरों के प्रयोग, अनुरक्षण अथवा उन्हें किराये पर देने (जिसमें कंटेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलर और अन्य उपस्कर शामिल हैं) से किसी परिवहन उद्यम, जो किसी संविदाकारी राज्य का निवासी है, के द्वारा प्राप्त लाभ केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे, जब तक कि कंटेनरों का प्रयोग केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर नहीं किया जाता है।

4. य यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से द के प्रयोजनार्थ अंतरराष्ट्रीय अनुच्छेद यक्ष रूप से संबंधप्रति निवेशों पर व्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के संचालन से प्राप्त लाभ के रूप में माना जाएगा यदि ऐसे कारोबार को करने के लिए ये अनिवार्य हैं और ऐसे व्याज के संबंध में अनुच्छेद के उपबंध 11 लागू नहीं होंगे।

5. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल, किसी संयुक्त व्यवसाय अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

6. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, अंतरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से लाभों में जलयानों अथवा वायुयानों द्वारा यात्रियों, पशुओं, डाक, माल अथवा पण्य वस्तुओं को परिवहन से प्राप्त लाभ शामिल होंगे जब तक कि ऐसा परिवहन को केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर प्रयोग किया जाता हो।

अनुच्छेद - 9

सहयोगी उद्यम

1. जहां

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं तो ऐसा कोई भी लाभ, जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार उस पर कर लगाता है जिन पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और इस प्रकार सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें वे शर्तें होती जो कि स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तो दूसरा राज्य उन लाभों पर वहां प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद 10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगेगा।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांशों की सकल राशि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कम्पनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें से लाभांश अदा किए गए हैं।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांश" शब्द का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है, जो लाभ की भागीदारिता के ऋण दावे न हों, और अन्य ऐसी निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहां दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, सिवाय इसके कि जो लाभांश उस दूसरे राज्य के निवासी को अदा किया जाता हो, अथवा जहां तक जिस धारणाधिकार के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है। वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर कम्पनी के अवितरित लाभ पर कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।

अनुच्छेद - 11

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रभावरित कर, ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. पैराग्राफ (2) के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले ब्याज पर दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि वह निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त किया गया हो और हितभागी रूप से उसके स्वामित्व में रखा जाता हो :

(क) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण; अथवा

(ख) (i) भारत के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक; तथा

(ii) फिजी के मामले में, फिजी का रिजर्व बैंक, फिजी विकास बैंक; अथवा

(ग) कोई अन्य संस्थान जिस पर पत्रों के आदान-प्रदान के जरिए संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच समय-समय पर सहमति बनती हो।

4. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "ब्याज" शब्द का अभिप्राय प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय से है चाहे वह बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं और चाहे उसे ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं और विशेष तौर पर सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों से प्राप्त आय है जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा ऋणपत्रों के संबंध में प्रदान किए जाने वाले प्रीमियम और पुरस्कार

शामिल हैं। विलम्बित अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि ब्याज का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज अर्जित हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से वहां स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस ऋणदावे के बारे में ब्याज अदा किया जाता है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध है। इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज तब उत्पन्न हुआ माना जाएगा जब ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का एक निवासी हो। तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह एक संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था, जिस पर ब्याज की अदायगी की गई है और इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है तब वह ब्याज उस राज्य में उत्पन्न हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

7. जहां, ब्याज अदा करने वाले और हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अंतिम वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में अदायगी के आधिक्य भाग पर इस करार के अन्य उपबंधों का सम्यक अनुपालन करते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद - 12

रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियाँ एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा लेकिन यदि रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल रकम के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. (क) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियाँ" शब्द का अभिप्राय है - किसी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृति के किसी कापीराइट, जिसमें सिनेमाटोग्राफ-फिल्मों अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में अथवा टेपें, कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां।

(ख) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद का अभिप्राय - तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं की व्यवस्था सहित कोई प्रबंधकीय, तकनीकी अथवा परामर्शी सेवाएं करने के प्रतिफल में की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां हैं, परन्तु इसमें इस करार के अनुच्छेद 14 तथा 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदायगियां शामिल नहीं हैं।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में यथा-स्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध लागू होंगे।

5. (क) एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएगी, जब अदाकर्ता स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का एक निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिसके संबंध में रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो और ऐसी रायल्टियां एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हों, तब ऐसी रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी, जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

(ख) जहां उप-पैराग्राफ (क) के अंतर्गत रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस किसी एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत नहीं होती है और रायल्टियां प्रयोग, अथवा प्रयोगाधिकार, अधिकार अथवा सम्पत्ति से संबंधित हों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस किसी एक संविदाकारी राज्य में निष्पादित सेवाओं से संबंधित हों, तो रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी।

6. जहां अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण किसी प्रयोग, अधिकार अथवा सूचना के संबंध में प्रदत्त रायल्टियों एवं तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है जिस पर इस प्रकार के संबंधों की अनुपस्थिति में अदाकर्ता और हितभागी स्वामी में सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगियों का आधिक्य भाग इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कराधेय रहेगा।

अनुच्छेद - 13**पूँजीगत अभिलाभ**

1. अनुच्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभों पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभों पर जो सम्पत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।
3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन से संबंधित, चल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त लाभ केवल संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे जिसका कि अंतरणकर्ता एक निवासी है।
4. शेयरों के अंतरण से प्राप्त एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभ जो दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति से अथवा ऐसी अचल सम्पत्ति से संबंधित किसी अन्य अधिकार में, प्रतिशत 50 काक्ष रूप से मूल्यक्ष अथवा प्रत्यप्रत्यसे अधिक प्राप्त करते हैं में कर लगाया जा पर उस दूसरे राज्य, सकेगा।
5. यदि किसी ऐसी कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, के पैराग्राफ 4 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
6. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 और 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य के स्वदेशी कर कानून के अनुसार में कर लगाया जा सकेगा जिसमें ऐसे लाभ उद्भूत हुए हों।

अनुच्छेद - 14**स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं**

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतंत्र स्वरूप वाले इसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों के निष्पादन से प्राप्त आय, निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर जिनमें ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता हो, केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी;
 - (क) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई हों; अथवा
 - (ख) यदि दूसरे राज्य में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां किसी बारह महीने की किसी अवधि में कुल मिलाकर 183 दिनों अथवा इससे अधिक के लिए हों, तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्यकलापों से प्राप्त होती है।

2. "व्यावसायिक सेवा" का अर्थ है—किसी मनीषी, वैज्ञानिक, सांख्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्य-कलापों के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु-विदों, दन्त-चिकित्सकों और लेखाकारों के स्वतंत्र रूप से प्राप्त पारिश्रमिक हैं।

अनुच्छेद - 15

प्रत्येक व्यक्ति के वैयक्तिक अधिकार

1. अनुच्छेद 16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक, भुक्तियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, जब तक कि नियोजन का निष्पादन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है। यदि ऐसा नियोजन किया गया है, तो जो पारिश्रमिक वहन से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।
2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

- (क) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में समाप्त अथवा प्रारंभ हुई किसी बारह महीने की ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में उपस्थित है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं हैं; और
- (ख) पारिश्रमिक, ऐसे किसी नियोजन द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है; और
- (ग) पारिश्रमिक, ऐसे किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक दूसरे राज्य में हो।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में परिचालित किसी जलयान अथवा वायुयान के संचालन पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसमें उद्यम का प्रभावी प्रबंध-स्थान स्थित है।

अनुच्छेद - 16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस तथा इसी तरह की अन्य अदायगियों पर जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो अन्य संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो, उन पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद - 17

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपने इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्य-कलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, औपतु किसी अन्य व्यक्ति

को प्राप्त हो, ऐसी आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्य-कलाप किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध, किसी मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा किसी संविदाकारी राज्य में निष्पादित कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर लागू नहीं होंगे यदि ये कार्यकलाप एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों या उसके राजनीतिक उप-प्रभाग या उसके स्थानीय प्राधिकारियों की सार्वजनिक निधियों द्वारा पर्याप्ततः समर्थित हों। ऐसे मामले में, आय केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होगी जिसकी मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी एक निवासी है।

अनुच्छेद - 18

पेंशन

अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और अन्य ऐसे पारिश्रमिक पर केवल उस राज्य में कर लगेगा।

अनुच्छेद - 19

सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उपप्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को अदा किए गए पेंशन से भिन्न पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा।

(ख) तथापि, ऐसे पारिश्रमिकों पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि सेवाएं उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की जाती हैं और उक्त व्यक्ति उस राज्य का निवासी हो, जो :

(i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक हो; अथवा

(ii) मात्र सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन हेतु उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।

2. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सृजित निधियों द्वारा अथवा उनमें से उस राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में किसी व्यक्ति को अदा की गई पेंशन पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा।

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल तभी कर लगेगा यदि उक्त व्यक्ति उस दूसरे राज्य का एक निवासी तथा राष्ट्रिक हो।

3. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त वेतनोंप्रकार के अन्य मजदूरियों और इसी, पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे।

अनुच्छेद - 20

प्रोफेसर, अध्यापक और शोधकर्ता

1. कोई प्रोफेसर, अध्यापक या शोधकर्ता जो दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा दूसरे राज्य में अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में शिक्षण या शोध कार्य या दोनों के प्रयोजन हेतु उस दूसरे संविदाकारी राज्य की यात्रा करने से तुरन्त पूर्व किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था, तो उसको उस दूसरे राज्य में उसके प्रथम आगमन की तारीख से दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए ऐसे शिक्षण या शोध कार्य के लिए प्राप्त पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी।

2. यह अनुच्छेद केवल शोध कार्य से प्राप्त होने वाली आय पर उसी स्थिति में लागू होगा यदि व्यक्ति द्वारा ऐसा शोधकार्य सार्वजनिक हित में किया जा रहा हो न कि मुख्य रूप से किन्हीं निजी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लाभ के लिए।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा यदि वह उस वित्तीय वर्ष में अथवा उससे तुरंत पहले वित्तीय वर्ष उस राज्य में निवासी है जिसमें वह अन्य संविदाकारी राज्य का दौरा करता है।

अनुच्छेद - 21

विद्यार्थी

1. कोई विद्यार्थी जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले उन संविदाकारी राज्यों में से किसी एक का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में उपस्थित है उसे अनुदान और छात्रवृत्ति के अलावा उस दूसरे राज्य में ऐसी अदायगियों पर कर से छूट होगी,

(क) उस दूसरे राज्य के बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए उसे किए गए भुगतान पर; और

(ख) पारिश्रमिक, जो वह किसी नियोजन से प्राप्त करता है जिसे वह अन्य संविदाकारी राज्य में करता है, यदि नियोजन उसके अपययनों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है।

2. इस अनुच्छेद के लाभ केवल ऐसी समयावधि तक उपलब्ध होंगे जो ऐसी शिक्षा एवं प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए तर्कसंगत हो अथवा प्रथागत रूप से अपेक्षित है परन्तु किसी भी हाल में किसी व्यक्ति को उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ इस अनुच्छेद के लाभ दूसरे राज्य में उसके प्रथम आगमन की तिथि से लगातार छह वर्षों की अवधि से अधिक नहीं मिलेगा।

अनुच्छेद - 22

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होंगी।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है, तथा ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की मदों, जिन पर इस करार के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में चर्चा नहीं की गई है और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होते हैं, पर उस दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद - 23

दोहरे कराधान के अपाकरण की विधि

दोहरे कराधान का अपाकरण निम्नानुसार किया जाएगा :

1. भारत में :

(क) जहाँ भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार फिजी में कर लगाया जा सकता है, वहाँ फिजी, उस निवासी की आय पर कर के संबंध में फिजी में अदा किए गए कर के समकक्ष राशि पर कटौती की अनुमति प्रदान करेगा।

तथापि, ऐसी कटौती, छूट दिए जाने से पहले कमा भी मामला हो, यथा-संगणित कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जिसका श्रेय, जैसा भी मामला हो, जिस आय को हो जिस पर फिजी में कर लगाया जा सकता है।

(ख) जहाँ, इस करार के किसी भी उपबंध के अनुसार भारत के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय पर भारत में कर से छूट प्राप्त होती है, वहाँ भारत फिर भी, ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की धनराशि की संगणना के समय छूट प्राप्त आय की धनराशि को ध्यान में रखेगा।

2. फिजी में:

(क) जहाँ फिजी का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार भारत में कर लगाया जा सकता है, वहाँ फिजी, उस निवासी की आय पर कर के संबंध में भारत में अदा किए गए कर के समकक्ष राशि पर कटौती की अनुमति प्रदान करेगा।

तथापि, ऐसी कटौती, छूट दिए जाने से पहले कमा भी मामला हो, यथा-संगणित कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जिसका श्रेय उस आय को हो जिस पर भारत में कर लगाया जा सकता है।

(ख) जहाँ, इस करार के किसी भी उपबंध के अनुसार फिजी के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय पर फिजी में कर से छूट प्राप्त होती है, वहाँ फिजी फिर भी ऐसी निवासी की शेष आय पर कर की संगणना के समय छूट प्राप्त आय की धनराशि को ध्यान में रखेगा।

अनुच्छेद - 24

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर उन्हीं परिस्थितियों विशेष रूप से निवास के संबंध में लागू होती हो अथवा लागू की जा सकती हो। अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्य के निवासी नहीं हैं।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो वह अपने निवासियों को देता है। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य को किसी स्थायी संस्थापन के लाभों को लेने से रोकना है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे कर पर एक कम्पनी है, जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की समरूप कम्पनी के लाभों पर लगाए गए कर से अधिक हो, न ही ये अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल हैं।

3. ऐसे मामले को छोड़कर जहाँ अनुच्छेद 9 का पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7 अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 7 के उपबंध लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे

संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया ब्याज, रायल्टी तथा अन्य भुगतान ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती योग्य होंगे मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया हो। इसी प्रकार एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के ऋण-दावे दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, ऐसे उद्यम के कराधेय पूंजी के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, उन्हीं शर्तों के तहत कटौती-योग्य होंगे, यदि वह प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को प्रदान किए गए हों।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण है जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य इसी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है।

5. इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद 2 के उपबंधों के होते हुए भी प्रत्येक किस्म और विवरण के करों पर लागू होंगे।

अनुच्छेद - 25

पारस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस करार के उपबंधों के अनुसार नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों में उपलब्ध कराए गए उपायों की व्यवस्था होने के बावजूद भी उस संविदाकारी राज्य में सक्षम प्राधिकारी को अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है। यह मामला उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामतः ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति न्यायोचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार निष्पन्न किसी करार को संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानून में किसी समय सीमा के होते हुए भी लागू किया जाएगा।

3. यदि इस करार की व्याख्या करने में अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाईयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे राज्य उन मामलों में भी दोहरे कराधान को हटाने के लिए एक-दूसरे से परामर्श करेंगे जिनके लिए इस करार में व्यवस्था नहीं की गई हो।

4. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी समझौते पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे सम्पर्क कर सकते हैं।

अनुच्छेद - 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से करों की प्रत्येक किस्म और विवरण से संबंधित आंतरिक

कानूनों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमयके प्रतिकूल नहीं हो। सूचना का आदान-प्रदान करना अनुच्छेद 1 और द्वारा 2 प्रतिबंधित नहीं है।

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो करार के अंतर्गत आने वाले करों के संबंध में करों का निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजनों के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। सूचना को अनुरोधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की लिखित सहमति के बगैर अनुरोधकर्ता संविदाकारी राज्य के किसी अन्य प्राधिकारी अथवा प्रवर्तन एजेंसी को प्रकट नहीं किया जा सकता।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं हैं;
- (ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक भेद अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हों, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक)।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना सप्लाई करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।

अनुच्छेद - 27

करों की वसूली में सहायता

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।

2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द " राजस्व दावा" का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए सभी किस्म और विवरण के करों, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस करार अथवा कोई अन्य साधन जिसके लिए संविदाकारी राज्य पक्ष हैं के

प्रतिकूल नहीं हैं, के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली अथवा संरक्षण के संबंध में देय राशि है।

3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है और जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस राजस्व दावे को उस अन्य राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार वसूल किया जाएगा, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा था।

4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। वह दूसरा राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे राज्य के राजस्व दावे हों, यहां तक कि, जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।

5. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया दावा उस राज्य में किसी समय सीमा के अध्यधीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे को प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी।

6. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को केवल उस राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष लाया जाएगा। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए किसी अधिकार का सृजन करना अथवा प्रदान करना लगाया जाएगा।

7. जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और इससे पहले कि दूसरा संविदाकारी राज्य संगत राजस्व दावे को वसूल करके प्रथमोल्लिखित राज्य को भेजता हैसंगत, राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा।

(क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य का कोई राजस्व दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता; अथवा

(ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य के राजस्व दावे जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है।

प्रथमोल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य से दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित राज्य अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा अथवा हटा लेगा।

8. इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध का अर्थ दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा :

- (क) उस संविदाकारी राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा के असंगत प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;
- (ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने अपने कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;
- (घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हों।

अनुच्छेद - 28

लाभों का परिसीमन

1. को कर परिहार अथवा अपवंचन से ति में एक संविदाकारी राज्य किसी भी स्थि, धइस करार के उपबं देशी कानूनों एवं उपायों के संबंधित इसके स्वउपबंधों को लागू करने से नहीं रोकेंगे चाहे वे इस तरह वर्णित हों, अथवा नहीं।
2. नहीं होगा यदि इसके कार्य एक का निवासी इस करार के लाभों के लिए हकदार एक संविदाकारी राज्य प्रयोजनत हों मानो कि यह इस करार के लाभों को लेने के लिए मुख्यवस्थि ऐसे तरीके में व्यअथवा मुख्य प्रयोजनों में से एक प्रयोजन था।
3. हैं, जिनकी प्रामाणिक कारोबारी गतिविधियां नहीं, एं शामिल हैं जिसमें कानूनी सत्ता, कितकोई भी व्य इस करार के लाभों के लिए हकदार नहीं होंगे।

अनुच्छेद - 29

राजनयिक मिशन के सदस्य और कौंसुली पद

इस करार की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक मिशन अथवा कौंसुली अधिकारी के सदस्यों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुच्छेद - 30

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्य इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा किए जाने के बारे में एक-दूसरे को राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में अधिसूचित करेंगे।
2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं की परवर्ती तारीख को प्रवृत्त होगा।
3. इस करार के उपबंधों का निम्न प्रभाव होगा :
 - (क) भारत में : जिस कैलेण्डर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में;
 - और
 - (ख) फिज़ी में : जिस कैलेण्डर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष में पहली जनवरी को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय अथवा लाभों के संबंध में।

अनुच्छेद - 31

समापन

यह करार अनेश्चित समय तक लागू रहेगा जब तक कि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता। दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से लेकर पांच वर्ष की

अवधि पूरी होने के बाद शुरू होने वाले किसी कैलेंडर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यम से समापन का नोटिस देकर करार को समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में यह करार निम्न के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा :

(क) भारत में : जिस कैलेंडर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष की पहली अप्रैल को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय के संबंध में;

(ख) फिजी में : जिस कैलेंडर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है उसके अनुवर्ती कैलेंडर वर्ष की पहली जनवरी को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष में उद्भूत होने वाली आय अथवा लाभों के संबंध में;

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार चौदह के जनवरी माह के तीसवें दिन हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया। दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से
(पी. चिदंबरम)
वित्त मंत्री

फिजी गणराज्य की
सरकार की ओर से
(अय्याज सैयद-खय्यूम)
एटार्नी जनरल एण्ड

मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड

प्रोटोकोल

लिए भारत य अपवंचन को रोकने के आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और विस्ती क करार पर हस्तान्न की सरकार के बीच इस तारीख को निष्प की सरकार और फिजी गणराज्यगणराज्य्पर करते समय अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित उपबंधों पर सहमत हुए हैं जो इस करार के अभिन्न अंग होंगे।

1. " यह समझा जाता है कि फिजी में, के संदर्भ में 2 दअनुच्छेभू "बिक्री कर- का तात्पर्य उस भूमि पर बिक्री प्राप्तियों पर कर से हैवर्षों की निरन्त 12 जिसे, र अवधि के लिए रखा गया था।
2. " कहीं भी पद-यह समझा जाता है कि करार में जहांदूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है" व्यक्त होता हैपर कर लगाने से रोकना नहीं होना चाहिए। का अर्थ आवास देश को आय,

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार चौदह के जनवरी माह के तीसवें दिन हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया। दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से
(पी. चिदंबरम)
वित्त मंत्री

फिजी गणराज्य की
सरकार की ओर से
(अय्याज सैयद-खय्यूम)
एटार्नी जनरल एण्ड

मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड